(41)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

पीठासीन अधिकारी :— मणीलाल तीरगर आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या सं. 03/14 राजस्व वाद निर्णय दिनांक 24.12.2018

1. श्रीमति सोमी पुत्री हवजी निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर
2. श्रीमति नानी बेवा हवजी मीणा निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर
3. श्रीमति जेलु पिता हवजी मीणा निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर

वादीगण

बनाम

1. श्री कान्तिलाल पिता नानजी पारगी मीणा निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर
2. श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अधिवक्ता वादी :— श्री श्रीकान्त जैन

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से श्री बाल गोविन्द पाटीदार

उक्त वादीगण सोमी पुत्री हवजी, नानी बेवा हवजी, जेलु पिता हवजी मीणा निवासीयान् पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर नें वाद कान्तिलाल पिता नानजी पारगी मीणा निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर एवं भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा के विरूध्द दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया वाद के तथ्य इस प्रकार है वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ही परिवार के है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 मौजा पीठ के खाता संख्या 118, 3 के खसरा नम्बर 3486/31 रकबा 07.05 बीघा शामलाती भूमि है। जो सयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। तदनुसार कांतिलाल पिता नानजी का 1/3 हिस्सा सोमी पुत्री हवजी एवं नानी बेवा हवजी का 1/3 व जेलु पुत्री हवजी का 1/3 हिस्सा है।

अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या वादीगण संयुक्त खातेदार है जो जमाबन्दी प्रदर्श 1 में वर्णित है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की शामलाती भुमि होने से हमेशा छोटी मोटी बातों का ऋण लेने में परेशानियां व लडाई झगडा होता है। भविष्य में वादीगण एवं पतिवादी संख्या 1 के मध्य किसी तरह का कोई विवाद नही होवे इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते अलग अलग कायम किये जावें। प्रतिवादी कान्तिलाल को न्यायालय में तलब किया गया कान्तिलाल की और से श्री बाल गोविन्द पाटीदार एडवोकेट को जवाब दावा प्रस्तुत करने के कई अवसर दिये गये लेकिन जवाब प्रस्तुत नही करने से न्यायालय में दिनांक 12.03.2015 को जवाब बन्द कर दिया गया। पत्रावली शहादत वादीगण में आने से वादीगण ने नानी पी.डब्ल्यु1, सोमी पी.डब्ल्यु.2, जैलु पी.डब्ल्यु.3 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा प्रतिवादी कान्तिलाल की और से डी.डब्ल्यु.1 का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ। तत्पश्चात वकील प्रतिवादीगण नें दिनांक 14.02.2017 को उक्त प्रकरण में हिदायत पैरवी नही होना जाहीर किया।

वकील वादी की और से एक पक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अध्ययन किया पक्षकारगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की मौजा पीठ के खाता संख्या 118 की आराजी नम्बर 3486/31 रकबा 7.05 बीघा आराजीयतता जमाबन्दी पी.डब्ल्यु.1 में वर्णित हिस्से व कब्जे अनुसार समान रूप से 1/3, 1/3 बंटवारा कर खाता अलग अलग किया जावें ।

अतः प्रतिवादी संख्या 2 को लैण्ड होल्डर तहसीलदार सीमलवाडा को आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजीयात मौजा पीठ का खाता संख्या 118 का खसरा नम्बर 3486/31 रकबा 7.05 बीघा का बंटवारा जमाबन्दी में वर्णित हिस्से अनुसार खाता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्सा 1 का अलग अलग खाता कायम किया जावे। इस आशय की डिकी पारित की जावें।

आदेश आज दिनांक 24.12.2018 को खुले न्यायालय में सूनाया गया।

24.12.18

मणीलाल तीरगर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा मु. धम्बोला

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)
(सिविल प्रेसीजर कोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला
इजलास उपखण्ड अधिकारी मणीलाल तीरगर सीमलवाडा

1. श्रीमति सोमी पुत्री हवजी निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर
2. श्रीमति नानी बेवा हवजी मीणा निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर
3. श्रीमति जेलु पिता हवजी मीणा निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर

वादीगण

बनाम

1. श्री कान्तिलाल पिता नानजी पारगी मीणा निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर
2. श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत :– **बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**
मुकदमा नम्बर :– 03/14
यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :– मणीलाल तीरगर
व हाजरी :– श्री श्रीकान्त जैन अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से श्री बाल गोविन्द पाटीदार
मिजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि:–
प्रतिवादी संख्या 2 को लैण्ड होल्डर तहसीलदार सीमलवाडा को आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजीयात मौजा पीठ का खाता संख्या 118 का खसरा नम्बर 3486/31 रकबा 7.05 बीघा का बंटवारा जमाबन्दी में वर्णित हिस्से अनुसार खाता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का अलग अलग खाता 1/3 – 1/3 हिस्सा कायम किया जावे।
मेरे दस्तखत मुहर अदालत में आज दिनांक 24.12.2018 को जारी की गई।

24.12.2018

(मणीलाल तीरगर RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा मु. धम्बोला

वाद केखर्चे

वादी	रूपया	पैसा	प्रतिवादी	रूपया	पैसा
1 वाद के लिये स्टाम्प 2 स्टाम वकालतनामा 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 महनताना वकील 5 खर्चा गवाहान 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील			1 स्टाम्प वकालात नामा 2 स्टाम्प अरजी के लिए 3 महनताना वकील 4 खर्चा गवाहान 5 आदेशिका की तामील 6 कमिश्नर की फीस		
योग	Nil	Nil	योग	Nil	Nil

24.12.18

(मणीलाल तीरगर RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा मु. धम्बोला

Scanned by CamScanner